प्रकरण सं0 25/2018

अज अदालत – **अपर कलक्टर** मुकाम. अजमेर

श्री सीमेन्ट बनाम डूंगरसिंह

एस.पी. ओझा Adv. 89(4) G.A.

29/8/19	उभयपक्ष के वकील इय0 वकील प्रार्थी को उनके प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो करने पर सुना गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना-पत्र में अंकित सम्पूर्ण आराजी को प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से खरीद ली है। प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र में आगे कोई कार्यवाही करना नहीं चाहता है इसलिए प्रार्थना-पत्र को अपील विड्रोल दाखिल दफ्तर किया जावे। चूंकि विवादित भूमि प्रार्थी द्वारा क्रय की जा चुकी है एवं प्रार्थी प्रार्थना-पत्र आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर मूल प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर इसी कदर से निस्तारित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (हस्ताक्षर) (आनन्दीलाल वैष्णव) अपर कलक्टर, अजमेर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Sharma
Date: 2019.11.13 10:27:42 IST
Reason: SelfAttested